STATEMENT BY MINISTER

Sardar Sarovar Project

जल संसाधन और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : उपसभापति महोदया, केन्द्र सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत अन्तर्राज्यीय नदी नर्मदा और उसकी नदी घाटी के जल विवाद के संबंध में अधिनिर्णय करने के वास्ते 6 अक्तूबर, 1969 को नर्मदा जल विवाद अधिकरण (एनडब्ल्यूडीटी) की स्थापना की। नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने इसे सौंपे गये मामलों की जांच की और 7 दिसम्बर, 1979 को अपना अधिनिर्णय दिया। नर्मदा जल विवाद अधिकरण का निर्णय भारत सरकार द्वारा 12 दिसम्बर, 1979 को अधिसूचित किया गया, जिससे यह इस विवाद के पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी हो गया। अधिनिर्णय में गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, राजस्थान के 4 राज्यों के द्वारा बहाये जाने वाले उपयोज्य जल की मात्रा निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र, गुजरात मध्य प्रदेश के राज्यों में जलाशय के पीछे जलमग्नता के कारण परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के प्रभावपूर्ण पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन के लिए विभिन्न प्रावधानों को अधिकरण ने विस्तार से विनिर्दिष्ट किया है, उनमें से कुछ प्रावधान निम्नवत् हैं :

1. प्रत्येक भूस्वामी विस्थापित को कम से कम 2 हेक्टेयर सिंचाई योग्य भूमि का आबंटन।

2. प्रत्येक विस्थापित परिवार को 18.29 मी.×27.43 मीटर (60 फिट×90फिट) माप का निवास प्लाट निःशुल्क आवंटन।

3. प्रति परिवार 500 रुपए की अनुदान सहायता के अतिरिक्त प्रति परिवार 750 रुपए का पुर्नस्थापन एवं पुनर्वास अनुदान।

4. भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार भूमि और निवास गृहों के लिए क्षतिपूर्ति।

5. विनिर्धारित नगरीय सुविधाओं का प्रावधान।

परियोजना का आयोजन, अभिकल्पन और अनुमोदन किया गया है और अधिनिर्णय में दिए गये प्राचलों (पैरामीटरों) के अनुरूप इसका कार्यान्वयन पक्षकार राज्यों द्वारा किया जा रहा है। पुर्नस्थापन और पुनर्वास के उपायों में सुधार करने और परियोजना की पुनरीक्षा करने के लिए लगातार मांग की जा रही है। जबकि परियोजना कार्यान्वयन के उन्नत चरण में है। अधिकरण के अंतिम आदेशों के खंड–16 के अनुसार सरकारी गजट में अधिसूचित किये जाने की तारीख से 45 वर्षो की अवधि के बाद राज्यों द्वारा बांटे जाने वाले उपयोज्य जल के प्राचलों और जलाशय के एमआरएल, अमआरएल और नवगाम नहर के एफ एसएल की पुनरीक्षा की जा सकती है। जलमग्नता, भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के संबंध में खंड–ii के उपखंड–6 के अनुसार खंड–ii के किसी उपबन्ध में रद्दोबदल, संशोधन और सुधार करने के लिए सभी पक्षकार राज्यों की सहमति होनी आवश्यक है।

अधिनिर्णय में विनिर्धारित पुर्नस्थापन एवं पुनर्वास पैकेज की गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों द्वारा कार्यान्वयन के दौरान उन राज्यों की नीतियों के अनुसार बहुत उदार बना दिया गया है। इन राज्यों द्वारा निर्माण की प्रगति के अनुरूप समन्वित ढंग से इन पैकेजों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का पुर्नस्थापन एवं पुनर्वास उपदल जिसमें राज्यों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं और जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय के सचिव हैं, इसके [illegible] का प्रबोधन करता है।

सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित सभी मुद्दों पर जून, 1993 के अंत में विचार विमर्श शुरू किये गये। इन विचार-विमर्श को जारी रखने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 3.8.1993 को जारी किये गये कार्यालय आदेश द्वारा पाँच सदस्यों के एक दल का गठन किया गया। इस कार्यालय ज्ञापन में 5.8.1993 को थोड़ा-सा सुधार किया गया। इस दल ने काम करना शुरू कर दिया है और इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट तीन माह के अन्दर सरकार को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा है। दोनों ज्ञापनों की प्रतियां अनुबंध-i और ii के रूप में संलग्न है। (नीचे देखिए)।

आशा है कि पुनर्स्थापन और पुनर्वास संबंधी मामलों पर कुछ लाभदायक सुझाव प्राप्त होंगे जिनसे परियोजना के शीघ्र कार्यान्वियन में मदद मिलेगी। इस परियोजना के संबंध में किसी प्रकार के खतरे की आशंका नहीं है।

अनुबंध–I

फाइल संख्या 6/4/93–पीपी

भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली 3 अगस्त, 1993.

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरदार सरोवर परियोजना (एस एसपी) पर विचार विमर्श जारी रखने के लिए उप दल का गठन।

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार एतद्द्वारा सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित सभी मुद्दों पर जून, 1993 के अंत में शुरू किये गये विचार विमर्शों को जारी रखने के लिए "पांच सदस्यों का दल" गठित करती है। यह दल अगली अधिसूचना तक काम करता रहेगा। इस दल का गठन निम्नवत होगा :–

1. डा. जयन्त पाटिल, संयोजक
   सदस्य योजना आयोग,
   भारत सरकार

2. श्री एल. सी. जैन,
   पूर्व सदस्य, योजना आयोग,
   भारत सरकार

3. डा. वसंत गोवरिकर,
   पूर्व सलाहकार (एस एण्ड टी),
   भारत के प्रधान मंत्री

4. प्रोफेसर रामस्वामी आर. अय्यर
   नीति अनुसंधान केन्द्र,
   नई दिल्ली

5. डा. वी. सी. कुलदैस्वामी,
   कुलपति,
   इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय ओपेन
   यूनिवर्सिटी,
   नई दिल्ली।

इस दल की कार्य पद्धति निम्नवत् होगी।

1. स्थिति : यह दल विभिन्न मतों वाले दलों के साथ बातचीत करेगा और भारत सरकार को मतैक्य रिपोर्ट एक निश्चित अवधि में प्रस्तुत करेगा जिसके लिए समय सीमा स्वयं दल द्वारा निर्धारित की जायेगी।

2. स्थल का दौरा :

   यदि आवश्यक हो, तो यह दल परियोजना स्थल का निरीक्षण भी करेगा।

3. स्थान : यह दल नयी दिल्ली में अथवा यदि आवश्यक हो तो परियोजना स्थल पर बातचीत करेगा।

4. विचार विमर्श : विभिन्न मतों वाले संबंधित दल अनुरोध कर सकते हैं अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इस दल को अपने सुझाव लिखित रूप में दे सकते हैं।

5. व्यय : इस दल के गैर-सरकारी सदस्यों को सरकारी नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

6. सचिवालय की सहायता : यह सहायता जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

यह दल यदि आवश्यक हो, तो भारत सरकार के परामर्श से कोई अन्य अतिरिक्त रूपात्मकता भी बना सकेगा।

भारत सरकार इस दल से मतैक्य रिपोर्ट प्राप्त करने के ढाई माह के अन्दर उस पर विचार करेगी। सरकार किसी मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिये यह रिपोर्ट दल को वापस भेज सकती है।

हस्ता/-
(ए. के. बरूआ)
अवर सचिव,
भारत सरकार।

अनुबन्ध–II

फाइल संख्या 6/4/93–पीपी

भारत सरकार

जल संसाधन, मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1993

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सरदार सरोवर परियोजना (एस० एस०पी०) पर विचार विमर्श को जारी रखने के लिए दल का गठन।

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार एतद्द्वारा सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित सभी मुद्दों पर जून, 1993 के अंत में शुरू किये गये विचार विमर्शों को जारी रखने के लिए "पांच सदस्यों का दल" गठित करती है। यह दल अगली अधिसूचना तक काम करता रहेगा। इस दल का गठन निम्नवत् होगा :–

1. डा. जयन्त पाटिल,
संयोजक सदस्य, योजना आयोग,
भारत सरकार

2. श्री एल. सी. जैन,
पूर्व सदस्य, योजना आयोग,
भारत सरकार

3. डा. वसंत गोवरिकर,
पूर्व-सलाहकार (एस० एण्ड टी०),
भारत के प्रधान मंत्री

4. प्रोफेसर रामस्वामी आर. अय्यर,
नीति अनुसंधान केन्द्र,
नई दिल्ली।

5. डा० वी० सी० कुलदैस्वामी,
कुलपति,
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन,
यूनिवर्सिटी,
नई दिल्ली।

इस दल की कार्य पद्धति निम्नवत् होगी :—

1. कार्य : यह दल विभिन्न मतों वाले दलों के साथ बातचीत करेगा और भारत सरकार को तीन महीने के अन्दर अथवा स्व-निर्धारित समय में, जो भी पहले हो, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

2. स्थल का ब्यौरा : यदि आवश्यक हो, तो यह दल परियोजना स्थल का निरीक्षण भी करेगा।

3. स्थान : यह दल नयी दिल्ली में अथवा यदि आवश्यक हो तो परियोजना स्थल पर बातचीत करेगा।

4. विचार विमर्श : विभिन्न मतों वाले संबंधित दल अनुरोध कर सकते हैं, अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और इस दल को अपने सुझाव लिखित रूप में दे सकते हैं।

5. व्यय : इस दल के गैर-सरकारी सदस्यों को सरकारी नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

6. सचिवालय की सहायता : यह सहायता जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

यह दल यदि आवश्यक हो, तो भारत सरकार के परामर्श से कोई अन्य अतिरिक्त रूपात्मकता भी बना सकेगा।

भारत सरकार इस दल से रिपोर्ट प्राप्त करने के ढाई माह के अन्दर उस पर विचार करेगी। सरकार किसी मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिये यह रिपोर्ट दल को वापस भेज सकती है।

यह ज्ञापन दिनांक 3 अगस्त, 1993 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का अधिक्रमण करता है।

हस्ता/-
(ए. के. बरूआ)
अवर सचिव,
भारत सरकार।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have some names before me. Shri Vithalbhai Patel.

श्री विट्ठल भाई मोतीराम पटेल (गुजरात) : महोदया, हम 15 संसद सदस्य पिछले सेटरडे और संडे को सरदार सरोवर प्रोजेक्ट देखने गए थे। हमारे दल में 4 कांग्रेस के और 11 विरोधी दल के सांसद थे। हमने वहां सब कुछ देखा। जो प्रभावित हुए, उनका पहले का जो काम था वह भी देखा और उन्हें नयी जगह जो दी गई वह भी देखी। उनका पुनर्वास बहुत अच्छा हुआ है और वह लोग भी खुश थे। उन्होंने हमको बताया कि पहले हम साल में क्विंटल, दो क्विंटल पैदा नहीं कर पाते थे, लेकिन हमको यहां जो जमीन दी गई है और मकान दिए गए हैं, एक किसान ने हम को बताया कि मैंने आधा एकड़ से ज्यादा जमीन में टमेटा उगाया तो मुझे 27 हजार का टमेटा हुआ इस तरह हर किसान पुनर्वास से बहुत खुश है। तो फिर यह 5 आदमियों की कमेटी क्या निरीक्षण करेगी, यह मैं जानना चाहता हूं ?

दूसरे नर्मदा बचाओ आंदोलन वाले है, उनको अमेरिका के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फोर्स से काफी पैसा मिलता है, कनाडा से मिलता है और यूरोप के देशों से मिलता है। उनके 40–50 आदमी तो रियो गए थे इसका विरोध करने के लिए। रियो में जो कांफरेंस हुई थी उसमें उनके 40–50 आदमी गए और 15 दिन वहां रहे। इस

तरह से करोड़ रुपए का खर्चा किया। तो वे कहां से लाए वह पैसा ? मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उनको विदेश से कितना पैसा मिला है, वह रिजर्व बैंक के थ्रू आया है या डायरेक्ट कहीं से आया है, उसको तलाश कर के हमें बतायें कि उनको टोटल कितना पैसा मिला ? वह एजीटेशन बंद नहीं करना चाहते क्योंकि अगर वह बंद कर देंगे तो विदेश से आनेवाला पैसा उनका बंद हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बिना वजह यह एजीटेशन चला रखा है और हमारे मंत्री जी उनके एजीटेशन के फेवर में आ गए हैं और उन्होंने एक कमेटी बना दी है। मंत्रीजी आप मुझे बताइए कि उनके पास पैसा कहां से आता है ? वह तो कहते है कि हम सर्वोदय वाले हैं, फिर यह करोड़ों रुपया कहां से आया ? पचास आदमी कैसे वहां गए, यह सब आप हमको तलाश कर के बताइए धन्यवाद ।

उपसभापति : श्री आनन्द प्रकाश गौतम अब्सेंट । श्री अहमद पटेल ।

श्री अहमद मोहम्मदभाई पटेल (गुजरात) : माननीय उपसभापति महोदया, मैं बहुत ही गौर से माननीय जल-संसाधन मंत्री जी का वक्तव्य सुन रहा था और वह मैंने पढ़ा भी। खुशी की बात है कि उसमें लास्ट पैराग्राफ में यह कहा गया है कि There is no danger anticipated to the project. लेकिन आपत्ति हमें इस बात पर है कि जलसंसाधन मंत्रालय ने जो दो नोटीफिकेशन इश्यू किए एक तीन अगस्त को और दूसरा पांच अगस्त को किया। अगर आप उसे देखें तो तीन अगस्त को जो नोटिफिकेशन इश्यू हुआ, उसमें कहा गया है कि—

The Ministry of Water Resources, Government of India, hereby constitutes a 5-member group to continue discussion initiated during the end of June 1993, on all issues related with the Sardar Sarovar Project. और बराबर दो दिन के बाद 5 अगस्त को दूसरा नोटिफिकेशन इश्यू हुआ है जिसमें कहा गया है कि—

The Ministry of Water Resources, Government of India, hereby constitutes a 5-member group to continue the review discussion initiated during end of June, 1993, on all issues related with the Sardar Sarovar Project.

रिव्यू वर्ड उसमें यूज किया गया है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 3 तारीख को एक नोटिफिकेशन इश्यू होता है और 5 तारीख को दूसरा होता है एक नोटिफिकेशन में यह कहा जाता है कि "डिस्कशन कंटीन्यू रहेगा" और दूसरे नोटिफिकेशन में कहा जाता है कि इसके बारे में "रिव्यू किया जाएगा" तो मैं माननीय मंत्री महोदय से ठोस आश्वासन चाहूंगा कि जिस तरह से नर्मदा ट्रिब्यूनल अवार्ड में कहा गया है कि यहां तक इस प्रोजेक्ट का सवाल है 45 साल तक नोटिफिकेशन इश्यू होने के बाद किसी प्रकार से रिव्यू नहीं किया जाएगा और अगर कुछ करना है तो आल कंसर्न पार्टी को कन्सल्ट किया जाएगा। तो यह जो नोटिफिकेशन इश्यू किया उसके पीछे क्या शुभ हेतु है ? क्या शुभ आशय है ?

माननीय मंत्री महोदय क्या यह आश्वासन देंगे, जैसा इसमें कहा गया है—

'There is no danger to this Project'.

जो बेसिक पैरामीटर है इस योजना का, जैसे कि हाइट आफ द डेम, दूसरी बात एलोकेशन आफ द वाटर और तीसरी बात कैनाल बेस वेवल, क्या इन चीजों के बारे में ग्रुप में कोई डिसकशन नहीं होगा, चर्चा नहीं होगी और रिपोर्ट में भी इसका किसी प्रकार का जिक्र नहीं होगा, क्या यह ठोस आश्वासन माननीय मंत्री महोदय दे पायेंगे ? धन्यवाद ।

श्रीमती उर्मिला बेन चिमनभाई पटेल (गुजरात) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो चार बातों में क्लेरिटि चाहती हूं। जब सरदार सरोवर का अवार्ड दिया गया, वह ट्रिब्युनल का दिया गया अवार्ड है। यह राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को बंधन करता है। इसमें से कोई पीछे हट नहीं सकता। यह सब स्पष्ट उल्लेख किया

गया है और जब 45 साल तक उसका रिव्यू करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है तब यह समिति क्यों गठित की गई ? इसकी क्या जरूरत खड़ी हुई? इसको रिव्यू नाम दें या न दें, लेकिन जांच-पड़ताल करने का काम सौंपा गया। तो ऐसी जांच-पड़ताल करने की क्या जरूरत पड़ी सरकार को ? यह मैं जानना चाहती हूं ।

दूसरा मैं जानना चाहती हूं कि यह समिति किसके दबाव में आकर बनाई गई ? क्या कोई एक व्यक्ति का दबाव है या पर्यावरणवादियों का दबाव है या कोई परदेशी पर्यावरण एन.जी.ओस. का दबाव है ? यह मैं जानना चाहती हूं ।

जब यह अवार्ड की चर्चा हो रही थी और जब भी पर्यावरणवादी, जो आंदोलन करते हैं वह गुजरात या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में आंदोलन करते हैं तो उनके पीछे पचास-साठ पत्रकार और फोटोग्राफर होते हैं। हकीकत में यह फोटोग्राफर और पत्रकार नहीं हैं, यह ऐसे कैमरा लगाकर, पत्रकार का लेबल लगाकर आंदोलन चलाने वाले ही परदेश के लोग हैं। दूसरे अलग-अलग एन.जी.ओस में से अलग-अलग देश से आते हैं। ऐसे पत्रकारों के या फारेन एजेंसियों या एन.जी. ओस. के दबाव में आकर यह किया गया है ? मैं यह जानना चाहती हूं ।

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि यह विदेशी नागरिक हमारे देश में ऐसे आकर घूमें फिरें, अगर यह टूरिज्म के हिसाब से आयें या कोई उद्योग के लिये आयें तो बात समझ में आती है, लेकिन हमारे देश के विकास की प्रवृत्तियों को रोकने के लिये, हमारे देश के विकास की योजनाओं में बाधा डालने के लिये आयें तो ऐसे विदेशियों को मुक्त रूप से घूमने फिरने की छूट क्यों दी जाती है ? यह किस प्रकार के पासपोर्ट लेकर यहां आते हैं ? उसकी भी जांच-पड़ताल होनी चाहिए। अगर यह लोग देश-विरोधी प्रवृत्ति करते हैं तो इनके घूमने फिरने पर नियंत्रण करना चाहिये । क्या इसके बारे में सरकार कुछ करना चाहती है ?

यह भी सबको जाहिर है कि इन पर्यावरणवादियों को विदेशों से बहुत बड़ी सहायता मिलती है । अभी हमारे मेंबर ने यह कहा कि उन लोगों को बड़े पैमाने पर विदेशों से यह आंदोलन चलाने के लिये पैसे मिलते हैं। तो यह पैसे किस तरह से आते हैं? इसकी भी जांच-पड़ताल होनी चाहिये । परदेश से पैसा लेकर देश में विरोधी आंदोलन चलाना, यह कोई देश के हित में सही प्रवृत्ति नहीं है बल्कि देश के अहित की प्रवृत्ति है । उसको रोकने के लिये सरकार क्या कुछ करना चाहती है ? इस सब के पीछे जो विदेशी शक्ति, जो आर्थिक महाशक्तियां, जो अपनी कालोनी विकासशील देशों में जमाये रखना चाहती है, अपनी मार्केट लगाये रखना चाहती है, अपना वेस्टेड इंस्टरेस्ट मेंटेन करना चाहती है, क्या उनके दबाव में आकर हम यह सब कर रहे हैं ? यह सब बातें हमें जानना जरूरी है ।

उपसभापति जरा संक्षेप में बोलिये, पौने दस बज रहे हैं ।

श्रीमती उमिला बेन चिमनभाई पटेल : अगर जो ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है और उसके बारे में विचार किया जाता है तो एक व्यक्ति और थोड़े चन्द व्यक्ति जो आज ह्यूमन राइटस की बात करते हैं, इसको हम देखते हैं और गुजरात की तीन करोड़ प्रजा, जो पानी के बिना जी रही है और हरेक अकाल उनके सामने आता है, कहीं ढोर-डंगर इसमें चले जाते हैं, हर साल उन्हें स्थानांतरण करना पड़ता है, तो उन लोगों के ह्यूमन राइट्स को नहीं देखा जाता है। क्या गुजरात के लोगों को सरकार ह्यूमन में कंसीडर

नहीं करती है या उनके राइट का कोई सवाल ही नहीं आता है ? मैं मानती हूं कि यह कमेटी का हम सब विरोध करते हैं और उसको विदड्रा करना चाहिये । गुजरात की प्रजा के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है । मैं मानती हूं कि यहां मंत्री जी बैठे हैं, वह हमारी बात को सुनेंगे और इसके बारे में निर्णय करके बतायेंगे । ऐसी अपनी ओर से हाउस के सभी मेंबरों की ओर से मैं माननीय मंत्री जी से विनती करती हूं । आभार ।

SHRI MADHAVSINH SOLANKI (Gujarat): Madam Deputy Chairman, the two memoranda annexed with the statement of the hon. Minister are dated 3rd August and 5th August. In both the annexures it is stated: "To continue the review discussions initiated during the end of June 1993 on all issues related with the Sardar Sarovar Project." Madam, this appears to be naive or too mischievous. What are the issues? None of the issues are mentioned in either of the memoranda. Actually, on what issues is this Group going to consider and continue the review discussions? What is to be reviewed. What transpired in the past? So, I have to put a simple question to the hon. Minister whether all issues related to the Sardar Sarovar Project, as mentioned in the Government of India Order dated 5th August, 1993, are concerning the issues pertaining to resettlement and rehabilitation of the project-affected people only, or they are related to the matters concerning the original award given by the Tribunal.

श्री अनः राय देवशंकर दवे (गुजरात): महोदया, मैं एक छोटा सवाल ही पूछना चाहता हूं कि 5 तारीख का जो आपने आफिशियल मेमोरेंडम जारी किया है, उसमें जो आपने लिखा है कि:–

"Five Member Group to continue discussions initiated during the end of June, 1993 on all issues related to. . ."

मैं यह जानना चाहता हूं कि एंड आफ जून, 1993 में डिस्कशन इनियेटिड, आपने उन आंदोलनकारियों के साथ क्या वार्ता की, वह बताइये ? जो वार्ता चली थी, उसमें क्या डैम की हाइट कम करने के लिये या किसी राज्य की कितना पानी देना है, सब इश्यूज के लिये डिस्कशन का इनिसिएशन हुआ था या आप वह कहिये कि कोई अदर्स मैजर्स जो पडिंग थी पुनर्विस्थापितों के लिये, उनके बारे में चर्चा हो रही थी, एक यह बता दीजिये ? आपने यह भी लिखा है कि एक महीने के अन्दर यह रिपोर्ट पब्लिक के पास रिलीज किया जायेगा । तो आप यह भी बता दीजिये कि आपके पास ऐसा क्या दबाव आंदोलनकारियों का आ रहा है, कि आपने उनकी सब शर्तों को मान लिया ? यहां तक कि 45 साल तक रिव्यू हो ही नहीं सकता है, ऐसा ट्रिब्यूनल का जजमेंट है, तो भी आपको ऐसा परिपत्र, आफिशियल मेमोरेंडम जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ी?

श्रीमती तरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभापति महोदया, नर्मदा बांध परियोजना हमारे देश की ही नहीं, विश्व की सबसे विराट योजना है और इस विराट योजना से जुड़े हुये लाभ और नुकसानों की आशंका भी सिर्फ विराट, विराट और विराट है । इसलिये इस विराटता के संदर्भ में हमारे मंत्री महोदय ने इस पर फिर से विचार करने के लिये कमेटी गठित की है, मैं उसका स्वागत करती हूं । उपसभापति महोदया, इस बात को जानते हुये भी कि पर्यावरण का मुद्दा साम्राज्यवादियों द्वारा विकासशील देशों के विरूद्ध एक हथियार के रूप में अपनाया जाता रहा है लेकिन फिर भी मैं मंत्री महोदया और अपने तमाम सदस्यों से यह जानना चाहूंगी कि क्या यह बात सच नहीं है कि सिर्फ इस बात पर हम इसकी नकार दें कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलनकारी हैं, वह किसी साम्राज्यवादियों के इशारों पर कार्य कर रहे हैं या विदेशियों के इशारों पर कार्य कर रहे हैं । उपसभापति महोदया, जब से यह नर्मदा बांध परियोजना बनी, जब से इस पर विचार-विमर्श शुरू हुआ, शुरू से ही एक अदभुत आश्चर्य

की बात है कि यह इतनी बड़ी महती परियोजना है और उस महती परियोजना के आधार बिन्दु पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है । तो क्या यह हमारे लिये सोचने की बात नहीं है? सबसे पहले जापान सरकार इस परियोजना में मदद के लिये आई । लेकिन जापान के पर्यावरणविदों की ओर से इतना दबाव पड़ा कि जापान सरकार पीछे हट गई और उसके बाद विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिये 45 करोड़ रुपये पहली मदद दी और पहली मदद देने के 5 साल के अन्दर ही जब इतने तरह के पर्यावरण और विस्थापितों के संबंध में सवाल उठने लगे तो विश्व बैंक ने अपना एक अलग समीक्षक दल नियुक्त किया–इंडिपेंडेंट रिव्यू के नाम से । इंडिपेंडेंट रिव्यू ने जो जांच की, जो समीक्षा की आंदोलनकारियों से, विभिन्न पर्यावरणविदों से, हमारे देश के लोगों से मिलकर, तो उसने इस बात पर सवाल उठाये और उन्होंने विश्व बैंक के सामने यह शर्त रखी कि जब तक पर्यावरण और विस्थापितों के बारे में आप और ज्यादा शर्तें भारत सरकार के सामने नहीं रखते तब तक विश्व बैंक को इस परियोजना में आगे नहीं बढ़ना चाहिये । भारत सरकार ने उन शर्तों को मानने से इंकार कर दिया । क्यों इंकार कर दिया, वास्तव में वह शर्तें क्या थी भारत सरकार के लिये क्यों संभव नहीं था, यह मैं जानना चाहूंगी ? बहरहाल यह सत्य है कि विश्व बैंक ने उससे अपना हाथ हटा लिया और उसके बाद हमा देश में जो विशेषज्ञ थे, उन लोगों ने यह जो सवाल उठाया है कि इस योजना में जिस योजना की लागत कुल 25 हजार करोड़ रुपये बताई जाती है और इसने होने वाला नुकसान इकोलाजिकल लोस 40 हजार करोड़ रुपये बताया जाता है । सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 40 हजार लोग विस्थापित होंगे । लेकिन हमारे ही देश के लोगों का कहना है कि इससे 10 लाख विस्थापित होंगे । 245 के करीब गांव डूब जायेंगे । **(व्यवधान)**

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल : आप द्वारा जो आंकड़े दिये जा रहे हैं वह गलत दिये जा रहे हैं ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आप मंत्री महोदय सही कर देंगे ।

उपसभापति : गलत आंकड़े हैं, जो क्यों बोल रही हैं ?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभापति महोदया, मैं अलग आंकड़े नहीं बोल रही हूं, मैं तो अपने आंकड़ों को प्रमाणित मानते हुये ही बोल रही हूं और मैं तो चाहूंगी कि मंत्री महोदय उनको प्रमाणित करें । मेरे पास तो प्रमाणित करने का कोई जरिया नहीं है ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRIMATI MARGARET ALVA): The CPI (M) has gone to the World Bank.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The World Bank lobby is working there.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: That is why I said that it may be used as an environmental pressure against the developing world. सिर्फ वर्ल्ड बैंक कह रहा है इस लिये हम सारी नहीं कह सकते । **(व्यवधान)** मैं यह चाहती हूं कि इन तमाम सवालों का जवाब दिया जाय, जो इतने बड़े सवाल हैं, जो खड़े किये हैं ।

श्री अनन्तराय देवशंकर देवे : इसमें पर्यावरण का कोई सवाल ही नहीं था । **(व्यवधान)**

श्रीमती सरला माहेश्वरी : उपसभापति महोदया, हम विवाद क्यों करें? विवाद का जवाब मंत्री महोदय देंगे ।

उपसभापति : आप सवाल पूछ लीजिये, आप तो पूरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रही हैं ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं बहुत बेसिक सवाल पूछ रही हूं । मेरा यह सवाल है कि जो नर्मदा जल प्राधिकरण बना है उसमें तीनों राज्य सरकारों ने जो समझौता किया, उस समझौते के तहत यह शर्त बनी जिसको कि इस प्रस्ताव में उन्होंने रखा है कि हर व्यक्ति को जो विस्थापित होगा 5 एकड़ जमीन मिलेगी, दो हेक्टेयर जमीन मिलेगी और वह यह कि इन तीनों राज्य सरकारों ने यह अर्थ लगाया कि 5 एकड़ जमीन सिर्फ उसको मिलेगी जिसके पास पट्टा होगा । उपसभापति महोदया, आप भी इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि इस योजना के साथ जो विस्थापित होंगे . . . (**व्यवधान**)

कुछ सम्मानित सदस्य : नहीं, यह गलत है । (**व्यवधान**)

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल : आप असत्य बोल रही हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order in the House, please.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: Let me ask my question and let the Minister explain. I do not understand why you are explaining.

SHRI M. A. BABY (Kerala): Madam, the lady Member should be protected.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am protecting her, but I want to remind her of one thing: If you go through the record of last week, a Member of Parliament from that area, Mr. Rathwa, said that his own family had been affected by this. He said categorically that they are satisfied with whatever the Government is doing and that everyone who had land and everyone who did not have land, would be given land. You see the record.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैडम मैं जो कह रही हूं वह यथार्थ दूसरा है, उनके गांव के लिये सही हो सकता है ।

उपसभापति : गांव के लिये नहीं, सब के लिये है । आदिवासी भी सब उसमें आते हैं । (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : रिहेबिलिटेशन पालिसी पूरी तय की गई है ।

. . . (*Interruptions*) . . .

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: Madam, what is this

SHRI M. A. BABY: If everything had been fine, I don't think so many people will come forward to go ahead with the agitation... (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us stop agitation here and finish it off.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मुझे गुजरात के साथ भी सहानुभूति है, मध्य प्रदेश के साथ भी सहानुभूति है और महाराष्ट्र के साथ भी सहानुभूति है । मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है । मैं चाहता हूं कि इतनी महती परियोजना की भी मैं खिलाफत नहीं करती हूं, लेकिन मैं यह चाहती हूं कि इस तरह की परियोजना के साथ जब इतने अहम सवाल जुड़ जाते हैं जो क्या उनको नजर अंदाज कर देंगे ? क्या हम यह नजर अंदाज कर देंगे कि उस पर 40 करोड़ का नुक्सान हो ? मध्य प्रदेश के जो पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक किताब लिखी है . . . (**व्यवधान**)

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh): Madam, are we having a full debate on this?

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing a debate on it please. You put a question, and the Mantriji will reply to it.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं सवाल ही कर रही हूं । मुझे सवाल रखने नहीं दिया जा रहा है, इसे विवाद बनया जा

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

रहा है । मंत्री महोदया को जवाब देने दीजिये । मेरा सीधा सा सवाल यह है कि जिस बात को नजर अंदाज किया जा रहा है, मैं कहना चाहती हूं कि अगर विस्थापितों का सवाल नहीं होता तो इतना बड़ा आंदोलन वहां खड़ा नहीं होता और पांच सदस्यों का दल गठित करके इतना बड़ा वक्तव्य देने की जरूरत नहीं होती...

श्री सुरेश पचौरी : ममता बनर्जी को भी मना लीजिये । ...(**व्यवधान**)

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं कहना चाहती हूं कि हमारे देश के वस्तुगत यथार्थ को देखते हुये हमारे देश की जरूरतों को देखते हुये क्या यह परियोजना हमारे देश के लिये उपयोगी है ? इतनी राशि में 32 बड़े बांध और 135 मध्यम तथा 3000 छोटे बांध बनने का जो दावा किया जा रहा है उनमें इतना बड़ा विरोधाभास है । नर्मदा बचाओ आंदोलन वाले दूसरा दावा कर रहे हैं और सरकार दूसरे दावे कर रही है, दूसरे लाभ गिना रही है । लोग कह रहे हैं कि कत्तई लाभ नहीं है । सरकार का कहना है कि इतने मेगावाट बिजली पैदा की जायेगी, वह सही नहीं है... (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I cannot permit you any more *bhashan*. Please sit down. Enough is enough. I know it is not a discussion. You should have put a question. I am not concerned with what the Government is saying, what it is not saying and what others are saying. You put your question. Otherwise, I am calling other persons....(*Interruptions*) No. I am sorry, I have to stop it somewhere. No, I cannot.

SHRI M. A. BABY: Now only a question.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not allowing any question.

...(*Interruptions*)

श्रीमती सरला माहेश्वरी : आखिर सच्चाई क्या है ? सरकार जो तथ्य बता रही है यह सही है या दूसरी बात सही है, यह मैं जानना चाहती हूं ...(**व्यवधान**)

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Madam, when the Ministry has permitted a review of all aspects, I would like to ask straight questions. Is it not a violation of the Narmada Tribunal Award? What is the use of the Panel Report when the Gujarat Government has totally boycotted it? Would you file a report without taking any action on the Panel Report? In that case, why don't you scrap it? My last point is: What is the difference between the statement that the hon. Minister has made today and the original statement? I find a little difference between the two. Let him explain what is the difference?

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat): Many questions arise, but I would ask only one question. When I ask this question I am not questioning the wisdom of the hon. Minister, but there is some kind of an agitation in the minds of the people that on what basis this particular committee of five members has been constituted? The reason why I ask is that there are members—I should not name—who have already expressed their views by various articles against the Narmada project. So, the apprehension is that before sitting in judgment their views are biased. Maybe, this is an opportunity for you to clarify on what basis you have constituted this committee.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Jagesh Desai, do you also want to ask questions? Are you for or against?

SHRI JAGESH DESAI (Maharahstra): Madam, I am also very much interested in the develpoopment of the country.

There is no question of its review at all, but what I find is that there are many countries who do not want a strong India. Leftist friends do not understand it. I am very sorry about that.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Nobody opposed it for the sake of opposing. Some questions have been raised. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. You don't have to give reasons. She is very capable to protect herself. (*Interruptions*)

SHRI JAGESH DESAI: We should not fall into their trap. If this project is successfully completed, this country will have no food problem. In fact, we will be able to export foodgrains. Many countries—European, American and other countries—do not want that this country should export foodgrains. That is why through their help this kind of an agitation has started. I am very sorry to say that. Our Minister has assured that even if funds are not received from the World Bank, we should not mind. We shall go ahead and we shall find our own resources. I am very thankful to him. At the same time I would like the hon. Minister to see that these foreign hands do not destroy our country. We should not fall a prey to them. As such the question of review does not arise. As far as the question of rehabilitation is concerned, yes, we must all help to see that they get their due share of rehabilitation and nobody should feel any difficult. But let my leftist friends understand that while they are always talking about pressures from the World Bank and the IMF, here why are they opposing? I am very sorry about that. Let us not play into their hands and let this project proceed as envisaged. If any change is to be done, let it be done at the appropriate stage. Otherwise, there is no cause for review at all. I am sure the Minister will take these views into account.

श्री विद्याचरण शुक्ल : उपसभापति महोदया, यह जो अभी बातचीत चल रही है यह कोई कानून के अन्तर्गत समीक्षा का प्रावधान किया गया है उसके अन्तर्गत नहीं हो रही है। कानून और पंचायत के फैसले के आधार पर जो कि संविधान और विधि सम्मत है उसमें 45 साल पहले की कोई किसी प्रकार की समीक्षा हो नहीं सकती। इसलिये जो बातचीत हो रही है इसको कोई समीक्षा कह दे, कोई रेवेयू कह दे, कोई कुछ दे इससे कोई अन्तर नहीं है। यह केवल एक बातचीत है। हमारे माधव सिंह जी जो विदेश मंत्री रहे हैं इस बात को जानते हैं कि नान पेपर क्या होते हैं। जिस तरह से नान रेवेयू जो है यह रेवेयू के नाम से जाना जाता है...। और इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह जो बातचीत कुछ लोग करना चाहते हैं तो प्रजातंत्र में बातचीत करने से क्यों इंकार किया जाय। जिन लोगों को बात समझ नहीं आती है, यदि वे समझना चाहते हैं तो बात समझा क्यों न दी जाय। जो असलियत है वह कोई छिपी हुई बात नहीं है। हम सब चाहते हैं कि काम पूरा हो। देश हित के लिये इतना बड़ा काम हो रहा है। वह पारदर्शी काम हो। लोग उसको यहां से वहां तक पूरा देख सकें। किसी को यह नहीं लगना चाहिये कि कोई चीज छिप के की जा रही है या कोई चीज छिपाई जा रही है या कोई चीज दबाई जा रही है। जो चीज की जा रही है वह जन हित में की जा रही है। जहां किसी को जन हित के मामलों के ऊपर कोई शंका है उस शंका को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिये यह जो बातचीत चल रही है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। जो पांच व्यक्ति इसमें बैठे हैं बातचीत करने वालों के साथ, वह जानकार लोग हैं, उनकी राय हो सकती है पक्ष में, विपक्ष में, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, जब तक वे जानकार हैं, समझदार हैं, देशभक्त हैं, और इन पांच व्यक्तियों की देशभक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। उनके विचार हो सकते हैं, पक्ष और विपक्ष में, पर उनकी जो बातचीत होगी वह बातचीत ऐसी होगी जिससे कि स्थिति और साफ होगी और स्थिति में जो भी कहीं किसी को धुंध दीखता है वह धुंध उससे दूर होगा और जो बहुत सी बातें लोगों की समझ में नहीं आ रही है वे समझ में आ जायेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। यह बात ठीक है कि इस परियोजना को लेकर बहुत से देशों में आंदोलन

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

चलाये गये । इसका कारण यह था कि विश्व बैंक के जो सदस्य हैं और जो बहुत से देश विश्व बैंक के सदस्य हैं उन देशों की संसदों के अन्दर जिस तरह के लोग भी रहे, जिन्होंने इसका विरोध किया उस विरोध के कारण वहां की सरकारों ने इसका विरोध शुरू किया और विरोध का कारण तरह तरह की ऐसी बातें हुई और एक स्वतंत्र समीक्षा दल विश्व बैंक का आया। उन्होंने कुछ बातें इसमें उठाई और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो जो उन्होंने इसके स्थल तय किये थे, जिसको बैंच मार्क कहते हैं वे तय करते हैं, उनसे ज्यादा अच्छा काम हमारी राज्य सरकारों ने किया। जितना विश्व बैंक की अपेक्षा उससे अधिक अच्छा काम किया जिससे कि पुनर्वास और पर्यावरण की किसी प्रकार की कोई कठिनाई न रह पाये और हमने विश्व बैंक की सहायता न लेने का जो फैसला किया वह इस कारण नहीं था कि उनकी जो शर्तें थी या बैंच मार्क थे उनको हम पूरा नहीं कर सकते थे। उन को तो हमने पूरा किया और अच्छी तरह से पूरा किया। पर इसमें जो राजनीति घुसेड़ी जा रही थी, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति घुसेड़ी जा रही थी उस राजनीति को इस परियोजना से पूरी तरह से अलग करने के लिए हमने यह तय किया कि हम विश्व बैंक से कोई सहायता आगे नहीं लेंगे। इसलिए हमने विश्व बैंक की सहायता न लेकर अपने ही प्रयासों से और अपने ही साधनों से इस परियोजना को पूरा करने का संकल्प अपने हाथ में लिया है। इसमें जो आन्दोलनकारी हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता हूं। उनके बारे में देश के निवासियों की विभिन्न प्रकार की रायें हो सकती हैं और माननीय सदस्य भी उनके बारे में विभिन्न प्रकार की राय ले सकते हैं। मैं नहीं समझता यह उचित होगा कि उनकी मंशा के ऊपर हम किसी प्रकार की शंका करें। मैं यह बात अच्छी तरह से कहना चाहता हूं कि वे लोग जो बात जानना चाहते हैं हम उनको बतायेंगे और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे मालूम नहीं है कि मेरी उम्मीद सफल होगी या नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब उनको असलियत मालूम होगी कि इससे कितना फायदा है भारतवर्ष का और भारतवर्ष के उन इलाकों का जहां इस नदी का पानी पहुंचेगा और यहां के जो विस्थापित लोग हैं कितनी सावधानी से उनका पुनर्वास किया जा रहा है तो फिर ये लोग जितना विरोध भारतवर्ष के अन्दर या भारतवर्ष के बाहर करते हैं या कराते रहे हैं, उसमें अन्तर काफी आएगा और इस योजना को शीघ्रतापूर्वक समय पर पूरा करने में सहायता मिलेगी। हम सब को यह बात मालूम है कि इस तरह का जो आन्दोलन रहा और हमने उसके बारे में चर्चा नहीं की और आन्दोलन चलने दिया और चलने के कारण इस परियोजना में तीन-चार का नुकसान हो गया। यदि इस तरह का आन्दोलन नहीं चलता, इस तरह का विरोध नहीं होता तो इसमें जो तीन साल का पिछड़ापन आया, यह भी नहीं होता और हम नहीं चाहते कि आगे आने वाले वर्षों में इस तरह का आन्दोलन चले जिससे इस परियोजना का नुकसान हो। इसलिए जो इसके बारे में जानना चाहें, पूछना चाहें, समझना चाहें, उनको जानने, बूझने और समझाने के लिए हम तैयार हैं और इसलिए यह बात हो रही है। कानूनन इस बात का कोई अर्थ नहीं, केवल समझदारी की बात हो रही है। माननीय सदस्य श्री माधव सिंह जी ने अंग्रेजी में पूछा मैं हिन्दी में उसका जवाब देता हूं कि न इसमें कोई शरारत है और न कोई नासमझी है। यह लाइफ भी नहीं है और किसी तरह की शरारत और नासमझी भी नहीं है। यह तो केवल—वे मेरी बात समझ गये होंगे, यह केवल इसलिए किया जा रहा है जिससे समस्त देशवासी समझ सकें कि यह कितनी उपयोगी और अच्छी योजना है और इसका विरोध जो हो रहा है वह कितना निरर्थक और कितना गलत विरोध हो रहा है। जब तक यह बात पूरी तरह से आम लोगों के सामने नहीं आयेगी इसमें जितना फायदा चाहिए उतना फायदा नहीं हो सकता है। इसी तरह से किस आधार

पर इसका गठन किया गया इत्यादि । मैंने कहा कि गठन करने के लिए पांच सदस्यों को बुलाया गया है । उनका नाम लेकर, पूछताछ करके गठन किया गया । इसलिए किया जिससे लोगों के मन में इस बात का विश्वास हो कि हम इसके ऊपर फ्री डिबेट चाहते हैं, इस बारे में बातचीत करना चाहते हैं । उनको हम रोकना नहीं चाहते । जो बात कहेंगे उसको सुनेंगे और जो रिपोर्ट आयेगी उसको पेश कर देंगे । वह रिपोर्ट किसी के ऊपर कोई बंधन नहीं करती, ना उसको मानने के लिए बंधनकारी है, न रिजेक्ट करने के लिए बंधनकारी है । केवल बातें लोगों के सामने आ जायेंगी और जो समझदार लोग इसमें बैठे हुए हैं, वे अपनी समझदारी के आधार पर विभिन्न ऐसे पहलुओं जिन पर कुछ रोशनी डालनी आवश्यक थी, उसको साफ कर देंगे । इस बांध की ऊंचाई कम करने का कोई प्रश्न नहीं है । इस तरह की शंका करना बिल्कुल गलत है । कोई कहता है करना चाहिए तो कह सकता है । पर सरकार की तरफ से ऐसी कोई मंशा नहीं है, न कोई ऐसा इरादा है, न ऐसी बात है और जैसा माननीय सदस्या ने कहा उसका मैं पहले उत्तर दे चुका हूं । इस तरह का जो आंदोलन चला, उससे जापान की ओर से जो सहायता मिल रही थी, वह सहायता उन्होंने बंद कर दी जिसके कारण वहां पर जो पावर हाउस लगने वाला था, 50 करोड़ में उसमें तीन साल की देर हो गई । विश्व बैंक की सहायता में थोड़ा अंतर आने के कारण देर हुई । इसमें किसी प्रकार की देर आगे चलकर न हो—क्योंकि हमें इसको निश्चित समय की अवधि के अंदर पूरा करना है और जितनी इसमें देर होती जा रही है उतनी उसकी लागत बढ़ती जा रही है । लागत न बढ़े इसके लिये इसको समयबद्ध से पूरा करना आवश्यक है । मैं बिल्कुल दृढ़तापूर्वक सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जो भी हमने काम किया है, किसी दबाव के अन्तर्गत नहीं किया है और न हम लोग दबाव में काम करते हैं और न इस दल का गठन दबाव के अन्तर्गत किया गया है । यह केवल इसलिये किया है जिससे यह परियोजना सफलतापूर्वक और सुगमता से पूरी की जा सके । गुजरात के जितने भी निवासी हैं और भारत के निवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो कदम हमने उठाया है उससे नर्मदा घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना को जल्दी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने में सहायता मिलेगी और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी । इस आश्वासन के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने इस सदन को ये बातें पूछने और समझने का अवसर दिया ।

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल : प्रश्नों के जवाब तो आये ही नहीं ।

उपसभापति : सब आ गये, सब जवाब आ गये । एवरीथिंग हैज कम । आपने पूछा कि क्या किसी दबाव में किया उन्होंने कहा नहीं, चेंज नहीं होगा वह हो गया ।

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल : विदेशी नागरिक जो यहां आकर हमारे विरुद्ध बात कर रहे हैं उसके बारे में सरकार बदला लेना चाहती है ?

उपसभापति : यह एक्सटर्नल एफियर्स मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री करेगी ।

श्री दिनेश त्रिवेदी आपका स्पेशल मेंशन है कच्छ के बारे में । जब सरदार सरोवर बन जायेगा तब जरूर आपकी समस्या का पूरा समाधान होगा । **(व्यवधान)** नहीं, मैं अभी मना नहीं कर रही हूं । . . . **(व्यवधान)** . . . आपका भी स्टेटमेंट है ? . . . **(व्यवधान)** . . . काहे पे ?